उत्तर प्रदेश शासन
राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग
संख्या: 77/40-99-27(29)/92
लखनऊ: दिनांक 22 जनवरी, 1999

विज्ञप्ति

एतद्विषयक समस्त पूर्ववर्ती आदेशों को निरस्त करते हुए राज्यपाल महोदय अग्रिम आदेशों तक राज्य एकीकरण परिषद का पुनर्गठन निम्नवत् किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) मा0 मुख्य मंत्री जी	अध्यक्ष
(2) राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के मा0 मंत्री जी	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
(3) राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में मा0 राज्य मंत्री जी	उपाध्यक्ष
(4) मा0 शिक्षा मंत्री जी	सदस्य
(5) मा0 मंत्री जी, संस्कृति विभाग	सदस्य
(6) मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग	सदस्य
* (7) मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विभिन्न राजनैतिक दलों के नेतागण, अधिकतम सात	सदस्यगण
(8) अध्यक्ष, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(9) अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(10) अध्यक्ष, अल्प संख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(11) प्रमुख सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	सदस्य सचिव
(12) प्रमुख सचिव, गृह विभाग	सदस्य

——2

(13) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग — सदस्य

(14) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश — सदस्य

* (15) समाज के विभिन्न क्षेत्रों के मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित अधिकतम पांच प्रतिनिधि, यदि मा0 मुख्य मंत्री जी उचित व आवश्यक समझें। — सदस्यगण

* टिप्पणी:- उपरोक्त क्रमांक(7) व(15) के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित नेतागण/प्रतिनिधियों की सूची पृथक से निर्गत की जायेगी।

2- परिषद का कार्य निम्नवत होगा :-

(क) राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की प्रोन्नति एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा रचनात्मक सक्रिय योगदान हेतु सुझाव देना।

(ख) श्रमिकों एवं उद्यमियों तथा छात्रों एवं शिक्षकों का राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की अभिवृद्धि में योगदान हेतु सुझाव देना।

(ग) राष्ट्रीय एकीकरण के परिप्रेक्ष्य में सभी वर्गों का सक्रिय योगदान प्राप्त करने हेतु कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सुझाव देना।

(घ) राष्ट्रीय एकता की अभिवृद्धि की दिशा में समुचित प्रचार एवं प्रसार हेतु सुझाव देना।

(ङ) त्रिभाषा फार्मूला के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव देना।

(च) भाषायी, क्षेत्रीय तथा धार्मिक कट्टरपन एवं राष्ट्रीय एकता की अभिवृद्धि में अन्य ऐसी हानिकारक प्रवृत्तियों को समाप्त करने हेतु सरकार को सुझाव देना।

(छ) देश की सुरक्षा अथवा अखण्डता प्रभावित होने पर समस्त नागरिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु सुझाव देना।

(ज) जिला एकीकरण समितियों को और अधिक सक्रिय बनाने हेतु सुझाव देना

----3

5- परिषद का मुख्यालय लखनऊ होगा किन्तु अध्यक्ष के अनुमति से परिषद की बैठक लखनऊ के बाहर की जा सकती है।

4- साधारणतया: वर्ष में परिषद की तीन बैठके हुआ करेगी ।

राय सिंह
उपसचिव ।

संख्या: 7711/40-99-27(29)/92तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- श्री राज्यपाल के सचिव ।
2- माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय मन्त्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिवों को
3- मा0 मंत्री जी राष्ट्रीय एकीकरण विभाग(वरिष्ठ उपाध्यक्ष-राज्य एकीकरण परिषद) उत्तर प्रदेश ।
4- मा0 राज्य मंत्री जी, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग(उपाध्यक्ष, राज्य एकीकरण परिषद)उत्तर प्रदेश ।
5- ~~परिषद के सभी~~ सदस्य ।
6- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
7- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में कृपया प्रकाशित करें ।

आज्ञा से,

(जमील अहमद)
उपसचिव ।

(3)

उत्तर प्रदेश शासन
राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग
संख्या--116/40--2012--27(29)/92
लखनऊः दिनांक 19 अक्टूबर, 2012

विज्ञप्ति/संशोधन

एतद् विषयक पूर्ववर्ती आदेशों को निरस्त करते हुए श्री राज्यपाल महोदय अग्रिम आदेशों तक राज्य एकीकरण परिषद का पुनर्गठन निम्नवत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं--

1.	मा0 मुख्य मंत्री जी	अध्यक्ष
2.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के मा0 राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार)	उपाध्यक्ष
3.	मा0 शिक्षा मंत्री जी	सदस्य
4.	मा0 मंत्री जी, संस्कृति विभाग	सदस्य
5.	मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग	सदस्य
6.	✣ मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित उ0प्र0 विधान मण्डल के सदस्य विभिन्न राजनैतिक दलों की संख्या के अनुपातिक आधार पर	सदस्यगण
7.	अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8.	अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग	सदस्य
9.	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग,उ0प्र0	सदस्य
10.	समाज कल्याण आयुक्त	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, गृह विभाग	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
13.	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0लखनऊ	सदस्य
14.	✣ समाज के विभिन्न क्षेत्रों के मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित अधिकतम पाँच प्रतिनिधि (यदि मा0 मुख्य मंत्री जी उचित व आवश्यक समझें)	सदस्यगण
15.	प्रमुख सचिव/सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	सदस्य/सचिव

✣ टिप्पणी:— उपरोक्त क्रमांक 6 व 14 के अनुसार मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित क्रमशः सदस्यों/प्रतिनिधियों की सूची पृथक से निर्गत की जायेगी।

कृपया पूर्वोक्त विज्ञप्ति संख्या 77/चालीस--99--27 (20)/92 दिनांक 22 जनवरी, 1999 को इस सीमा तक संशोधित हुआ समझा जाय। उक्त विज्ञप्ति की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी ।

(नेत राम)
प्रमुख सचिव

संख्या-- 116(1)/40--2012--27(29)/92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3. राज्य एकीकरण परिषद में नामित मा0 मंत्रीगण के निजी सचिवों को, मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4. राज्य एकीकरण परिषद के सभी सदस्य।
5. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।

7-- गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिन्हा)
उप सचिव।